रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938
No. 742] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

का.आ. 827(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 39 के साथ पठित पैरा 30 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भागII, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 2 फरवरी, 2015 को भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 323(अ), तारीख 2 फरवरी, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी भविष्य निधि के सामान्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नियोजक द्वारा उक्त स्कीम के पैरा 30 और पैरा 38 के उप पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 अप्रैल 2017 से संदेय प्रशासनिक प्रभारों को प्रत्येक अप्रत्यकारी स्थापन, जिसका कोई अंशदायिक सदस्य नहीं है, के लिए प्रतिमास के लिए पचहत्तर रुपए की न्यूनतम राशि और अन्य स्थापनों के लिए प्रतिस्थापन पांच सौ रुपए प्रतिमास की न्यूनतम राशि के अधीन रहते हुए,वेतन के 0.65 प्रतिशत (शून्य दशमलव पैंसठ प्रतिशत) जैसा कि उक्त पैराओं में निर्दिष्ट किया गया है,नियत करती है।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात का 31 मार्च, 2017, उस तारीख को सम्मिलित करते हुए, उस अवधि की बावत संदेय प्रशासनिक प्रभारों जिनके लिए पैरा 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानों उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

[फा. सं. एस-35012/01/2014-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2017

S.O. 827(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to paragraph 30 read with paragraph 39 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 323(E), dated the 2nd February, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Central Board and having regard to the resources of the Employees' Provident Fund available for meeting its normal administrative expenses, hereby fixes the administrative charges payable by the employer for the purposes of paragraph 30 and sub-paragraph (1) of paragraph 38 of the said Scheme with effect from 1st April, 2017 at 0.65 per cent (zero point six five per cent.) of the pay as referred to in the said paragraphs subject to a minimum sum of seventy-five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and five hundred rupees per month per establishment for other establishments.

2. For the removal of doubts, it is hereby notified that nothing contained in this notification shall affect the administrative charges payable in respect of the period up to and inclusive of the 31st March, 2017 in respect of which the notification referred to in paragraph 1 herein shall continue to apply as if the same had not been superseded.

[F. No. S-35012/01/2014-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

का.आ. 828(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ग की उपधारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 2 फरवरी, 2015 को भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 324(अ), तारीख 2 फरवरी, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें से अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अवधारित किया जाता है, जो कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के प्रशासन के संबंध में व्ययों को पूरा करने के लिए उक्त स्कीम के द्वारा या उसके अधीन दिए गए कोई अन्य लाभों की लागत के मद्दे व्ययों से भिन्न, जमा सहबद्ध बीमा निधि को प्रत्येक मास नियोजक द्वारा कोई रकम तत्समय संदाय के रूप में अपने कर्मचारी के संबंध में नियोजक द्वारा संदाय नहीं होगी।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात का 31 मार्च, 2017, उस तारीख को सम्मिलित करते हुए, उस अवधि की बावत संदेय प्रशासनिक प्रभारों जिनके लिए पैरा 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानों उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

3. यह अधिसूचना 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-35012/01/2014-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2017

S.O. 828(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of section 6C of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 324(E), dated the 2nd February, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby determines that no sum shall be payable for the time being by the employer in relation to his employees as the further sum payable by the employer every month to the Deposit-Linked Insurance Fund for the meeting the expenses in connection with the administration of the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 other than the expenses towards the cost of any benefits provided by or under that scheme.

2. For the removal of doubts, it is hereby notified that nothing contained in this notification shall affect the administrative charges payable in respect of the period upto and inclusive of the 31st March, 2017 in respect of which the notification referred to in paragraph 1 herein shall continue to apply as if the same had not been superseded.

3. This notification shall come into force from 1st day of April, 2017.

[F. No. S-35012/01/2014-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.16 15:15:46 +05'30'